

किरम मुकदमा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहमकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

12/11/19

12/11/19 पत्रावली आज पेश हुई।
आज श्रीमान् नर लाठ अन्ध राजकीन
काफ में स्पष्ट छेने ले मिसल तारीख 25/7/19
को पेश हो।

3 प्रकृति
पिया
बाबो

15/11/19 पत्रावली आज पेश हुई।
आज श्रीमान् नर लाठ काह पचारे हैं,
इतः मिसल तारीख 20/9/19 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर, जसवन्तपुरा
जिला-जालोर (राज)

20-9-19 पत्रावली आज पेश हुई। कुम्हार फरिक्तेन हाफिज।
शर्मा अधिवक्ता राजस्थान मंडल में निगरानी
प्रकारे पेश करने हेतु अवसर चाहते हैं।
मिसल तारीख 8-11-19 को पेश
हो।

7 की
वसा
9 की

8/11/19 पत्रावली आज पेश हुई।
आज श्रीमान् नर लाठ काह बिजाते हैं।
मिसल तारीख 2/11/19 को पेश हो।

10/11/19

2/11/19 पत्रावली आज पेश हुई।
आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय वीरे
में है। पत्रावली आयंदा तारीख 12-12-19
को पेश हो।

महल
3

12-12-19 पत्रावली पेश हुई।
इस प्रार्थना पत्र पं. 212 RTI की प्रकृति का
पत्रावली की आदेशिका से प्राप्त हुआ कि
विगत नौ वर्षों से राजीव गान्धी अधिवक्ता
राजस्थान मंडल में निगरानी

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p>	<p>नामा अदालत हुकम में</p>
	<p>प्रकरण की वास्तुस्थिति के स्टेज को फल व्यापारियों को अकाल रूप में असमर्थ रहे हैं। इससे उत्पन्न होता है कि प्राथमिकता की प्रकृति में रुचि नहीं है। अतः व्यापार में ऐसे प्रकरणों को लांबित रखना उचित नहीं रही होने के कारण मूल्य प्राप्त करने हालांकि के अदालतों में खारिज की जा रही है। अतः प्राथमिकता - पत्र पत्र 212 211 में मामला प्रामाण्यता बनाता नहीं पाया जाता है। साथ ही प्राथमिकता सुविधा के सांख्यिक व अर्थशास्त्रिक प्रति के मुद्दों को स्पष्ट करने में समर्थ नहीं रहे। अतः उक्त प्राथमिकता पत्र पत्र 212 211 चतुर्थ प्रकरण नहीं पाया जाते के कारण खारिज किया जाता है।</p> <p>प्राथमिकता के अभाव में मुद्दा खारिज रहे अतः ही व मूल्य प्राप्त के लिए नहीं हो।</p>	

सहायक वकील
जसवन्तपुरा (जालौर)